बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक.................

संख्या–08/आ०–05–20/2025......................./जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1811 दिनांक 29.04.2025 द्वारा श्रीमती सुशीला देवी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पंडारक, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध वरीय शिक्षक को रहते हुए कनीय शिक्षकों को प्रभार देने, ग्रामीण क्षेत्रों वाले शिक्षकों का अवैध प्रतिनियुक्ति शहरी क्षेत्रों में मनचाहे विद्यालय में करने, विद्यालय निरीक्षण के क्रम में शिक्षकों को अनुपस्थित रहने एवं अन्य मामले में गड़बड़ी पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछ कर मामले को रफा–दफा करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त आरोप–पत्र पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 541 दिनांक 06.06.2025 द्वारा श्रीमती सुशीला देवी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्रीमती देवी द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। उक्त बचाव अभिकथन पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1032 दिनांक 08.10.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 312 दिनांक 20.01.2026 द्वारा श्रीमती सुशीला देवी के लिखित बचाव अभिकथन पर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

आरोपी पदाधिकारी, श्रीमती सुशीला देवी के विरूद्ध आरोप, उनसे प्राप्त बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपकर्त्ता द्वारा कनीय शिक्षक के स्थान पर वरीय शिक्षक को प्रभार दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों वाले शिक्षकों का अवैध प्रतिनियुक्ति शहरी क्षेत्रों में मनचाहे विद्यालयों में किए जाने के संबंध में काई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विद्यालय निरीक्षण के क्रम में शिक्षकों के अनुपस्थित रहने तथा अन्य मामले में गड़बड़ी पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछकर मामले को रफा–दफा करने के संदर्भ में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विद्यालय निरीक्षण के उपरांत अनुपस्थित रहने या अन्य मामले की सूचना आरोपी पदाधिकारी द्वारा उच्चाधिकारी को दी गई है। प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा श्रीमती सुशीला देवी के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। श्रीमती सुशीला देवी दिनांक 31.01.2026 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।

(4)

श्रीमती सुशीला देवी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पंडारक, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक 08/आ०–05–20/2025–459 पटना, दिनांक 08.04.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17(पेंशन शाखा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), पटना/श्रीमती सुशीला देवी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पंडारक, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)